

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2014— श्रावण 17, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-41/2013/ज. नि./42. — छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाये गये निम्नलिखित विनियम एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति और प्रारंभ

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकक) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (यहां इसके आगे “अधिनियम” निर्दिष्ट) के अधीन युवाओं के पूर्व ज्ञान या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण के आधार पर अर्जित कौशल का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक तृतीय पक्ष मूल्यांकक, और तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले निगमित निकायों, सरकारी विभागों, मिशनों और सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय की घटक इकाईयों, पर लागू होंगे :

परंतु यह कि ये विनियम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (यहां इसके आगे “महानिदेशालय” निर्दिष्ट) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पंजीकृत या पैनलित मूल्यांकक निकाय (असेसिंग बॉडी) पर भी लागू होंगे, और ऐसा मूल्यांकक निकाय प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत तृतीय पक्ष मूल्यांकक माना जायेगा।

1.3 ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. तृतीय पक्ष मूल्यांकक के चयन आदि की प्रक्रिया

2.1 तृतीय पक्ष मूल्यांकक के चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, या नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया इस प्रयोजन हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित सशक्त समिति द्वारा यथा-अधिकथित होगी, और इसमें पंजीयन की पात्रता सम्मिलित होगी :

परंतु यह कि ऐसी प्रक्रिया, पंजीयन की पात्रता सहित, ऐसी होगी जैसी विनियम 1.2 के परंतुक के अधीन तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत माने गये मूल्यांकक निकाय के समान स्तर और पात्रता वाले तृतीय पक्ष मूल्यांककों का चयन सुनिश्चित करें, और इसे कार्यकारिणी समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखी जायेगी, और यदि कार्यकारिणी समिति कोई उपांतरण करने या ऐसी प्रक्रिया को नहीं अपनाने का निर्णय लेती है, तो तत्पश्चात्, पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, प्रक्रिया यथा-उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभावी होगी :

परंतु यह और कि ऐसी प्रक्रिया राज्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी

2.2 विनियम 1.2 के परंतुक के अधीन तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत माने गये मूल्यांकक निकाय के चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, या नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण के लिए महानिदेशालय द्वारा उसके साथ पंजीयन या पैनलीकरण के लिए अधिकथित की गई के सिवाय अन्य कोई प्रक्रिया नहीं होगी :

परंतु यह कि विनियम 2.1 के अधीन गठित सशक्त समिति ऐसे मूल्यांकक निकायों के लिए पृथक् प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सक्षम होगी, और ऐसी प्रक्रिया के संबंध में विनियम 2.1 के उपबंध, यथायोग्य परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

3. पंजीयन की पात्रता और पूर्ति न होने का परिणाम

3.1 विनियम 2.1 या 2.2 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अंतर्गत पात्रता के अतिरिक्त, पंजीयन (विनियम 1.2 के परंतुक के अधीन मूल्यांकक निकाय के माने गये पंजीयन सहित) की पात्रता में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे :-

- (क) राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक तृतीय पक्ष मूल्यांकक और इस रूप में पंजीकृत माना गया प्रत्येक मूल्यांकक निकाय ऐसी प्रत्येक परीक्षा जिसके आधार पर उसके द्वारा अर्जित कौशलों का अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है, के परिणाम राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशित इलेक्ट्रॉनिक रूप में व रीति से, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सहित, राज्य प्राधिकरण को स्वयं के व्यय-भार पर उपलब्ध करायेगा; और
- (ख) राज्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत प्रत्येक तृतीय पक्ष मूल्यांकक और इस रूप में पंजीकृत माना गया प्रत्येक मूल्यांकक निकाय ऐसे अन्य सूचना और अभिलेख जैसे राज्य प्राधिकरण निर्देशित करे, ऐसे रूप में और रीति से जैसे राज्य प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, संधारित करेगा और राज्य प्राधिकरण को, या किसी जिला प्राधिकरण को, उपलब्ध करायेगा।

3.2 विनियम 2.1 या 2.2 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पात्रता, या विनियम 3.1 के अधीन किसी पात्रता, की पूर्ति न होने की दशा में-

- (क) संबंधित तृतीय पक्ष मूल्यांकक पंजीयन के लिए अपात्र हो जायेगा, और
- (ख) संबंधित मूल्यांकक निकाय, जिसे तृतीय पक्ष मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत माना गया है, ऐसा माने जाने के लिए अपात्र हो जायेगा :

परंतु यह कि ऐसी अपात्रता की दशा में राज्य प्राधिकरण-

- (क) ऐसे किसी तृतीय पक्ष मूल्यांकक के पंजीयन को निलंबित या निरस्त, या उसके नवीनीकरण से इन्कार, कर सकेगा, और
- (ख) ऐसे किसी मूल्यांकक निकाय का राज्य प्राधिकरण के साथ माना गया पंजीयन तत्पश्चात् न होना मान सकेगा।

Naya Raipur, the 8th August 2014

NOTIFICATION

No. F. 9-41/2013/MPP/42.— The following Regulations made by the Chhattisgarh State Skill Development Authority, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with clause (g) of sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (No. 17 of 2013), are hereby published for information of the public.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

IndiaCode

Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014

1. **Short title, application and commencement**
 - 1.1 These Regulations may be called Chhattisgarh State Skill Development Authority (Third Party Assessor) Regulations, 2014.
 - 1.2 These Regulations shall apply to every Third Party Assessor registered with, and to Body Corporates and government departments, missions and other constituent units of government or of any public body applying for registration as a Third Party Assessor with, the State Authority for the purpose of assessing skills attained, on the basis of prior knowledge or training provided by a Vocational Training Provider, under the Chhattisgarh Right of Youth to Skill Development Act, 2013 (hereinafter referred to as the "Act"):

Provided that these Regulations shall also apply to an Assessing Body registered with or empanelled by the Directorate General of Employment and Training under Government of India's Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the "Directorate General") for the State of Chhattisgarh, and such an Assessing Body shall be deemed to be a Third Party Assessor registered with the State Authority.

- 1.3 These Regulations shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Procedure for selection etc. of Third Party Assessor**
 - 2.1 The procedure for selection, registration, evaluation, or renewal or cancellation of registration of a Third Party Assessor shall be such as may be laid down from time to time by an empowered committee set up for the purpose by the Executive Committee, and shall include the eligibility for registration:

Provided that such procedure, including eligibility for registration, shall be such as would secure selection of Third Party Assessors of like standards and qualification as an Assessing Body deemed to be registered as a Third Party Assessor under the proviso to Regulation 1.2, and the same shall be laid before the Executive Committee at its next meeting, and if the Executive Committee decides to make any modification or that the procedure should not be adopted, the procedure shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, without prejudice to the validity of anything previously done:

Provided further that such procedure shall be published on the website of the State Authority.

- 2.2 There shall be no separate procedure for selection, registration, evaluation, or renewal or cancellation of registration of an Assessing Body deemed to be registered as a Third Party Assessor under the proviso to Regulation 1.2, other than what may be laid down by the Directorate General for registration or empanelment with itself:

Provided that the empowered committee set up under Regulation 2.1 shall be competent to lay down a separate procedure for such Assessing Bodies, and the provisions of Regulation 2.1 shall apply, *mutatis mutandis*, in respect of such procedure.

3. Eligibility for registration and consequence of non-fulfilment

- 3.1 In addition to any eligibility under the procedure laid down under Regulations 2.1 or 2.2, the eligibility for registration (including the deemed registration of an Assessing Body under the proviso to Regulation 1.2) shall also include the following:—
- Every Third Party Assessor registered with the State Authority and every Assessing Body deemed to be so registered shall furnish to the State Authority, at its own cost, in electronic form and manner directed by the State Authority, under electronic signature, the results of each examination on the basis of which it has assessed, under the Act, skills attained; and
 - Every Third Party Assessor registered with the State Authority and every Assessing Body deemed to be so registered shall maintain and furnish to the State Authority, or to any District Authority, in such form and manner as the State Authority may specify, such other information and records as the State Authority may direct.
- 3.2 In the event of non-fulfilment of any eligibility under the procedure laid down under Regulations 2.1 or 2.2, or of any eligibility requirement under Regulation 3.1,—
- the Third Party Assessor concerned shall become ineligible for registration, and
 - the Assessing Body concerned, deemed to be registered as a Third Party Assessor, shall become ineligible for being so deemed:

Provided that in case of such ineligibility, the State Authority may—

- suspend or cancel, or deny renewal to, registration of any such Third Party Assessor, and
- no longer deem any such Assessing Body as registered with the State Authority.